मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

सहायक प्राध्यापक परीक्षा–2022

-::परीक्षा योजना::-

(अ) अंक–योजना :–

प्रश्न पत्र	परीक्षा	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
प्रथम प्रश्न पत्र	मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान	50	200	01 घंटा
द्वितीय प्रश्न पत्र	विषय– संबंधित विषय	150	600	03 घंटे
	योग	200	800	
	साक्षात्कार		100	
	कुल अंक		900	

(ब) प्रश्न पत्र योजना :–

1. परीक्षा का आयोजन दो सत्रों में होगा ।
2. प्रथम प्रश्न पत्र की विषयवस्तु – मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे । द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय से संबंधित प्रश्नपत्र में 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्र में कुल–200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 04 अंकों का होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न–पत्रों का पूर्णांक 800 अंकों का होगा।
3. दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प (A,B,C,D) होंगे। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से केवल एक सही विकल्प का ही चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा।
4. प्रथम प्रश्न पत्र की अवधि 01 घंटे की होगी । इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 04 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र की अवधि 03 घंटे की होगी । द्वितीय प्रश्न पत्र में संबंधित विषय के 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 04 अंकों का होगा इस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांको को जोड़कर बनेगी।
5. दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक–पृथक 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं दिव्यांगजन (PH) श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10–10 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाएगी इस प्रकार उक्त श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक प्रश्न–पत्र में पृथक–पृथक न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. भाषा संबंधी प्रश्न–पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न–पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे।

7. परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख–प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्रावधिक सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएँगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच उपरान्त अर्ह पाए जाएँगे। अंतिम निर्धारित तिथि पश्चात आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे।

8. साक्षात्कार :–

साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं हैं।

(स) चयन–प्रक्रिया :–

1) चयन–प्रक्रिया के प्रथम चरण में संबंधित प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति (OMR Sheet आधारित) परीक्षा/ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

2) परीक्षा उपरान्त परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर 07 दिवस की अवधि में आपत्तियाँ प्राप्त की जाएगी। इस अवधि के पश्चात् प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विषय–विशेषज्ञ समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नांकित कार्यवाही की जाएगी :–

   1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा ।
   2. प्रश्न पत्र में अनुवाद की भाषा में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा। **(केवल द्वि–भाषी प्रश्न–पत्रों पर लागू)**
   3. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा ।
   4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो, प्रश्न को प्रश्न–पत्र से विलोपित किया जाएगा ।
   5. विषय–विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात् अभ्यर्थियों के कोई भी आपत्ति/पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा । विषय–विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

6. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा–परिणाम घोषित किया जाएगा।

3) परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु प्रावधिक सफल घोषित किया जाएगा।

4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिये अनर्ह माना जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यह निर्णय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी समय–समय पर आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

5) विज्ञापन की कंडिका–सात–चयन प्रक्रिया (1) के अनुसार–यदि अभ्यर्थी मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तो उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्राप्त वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

6) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

परीक्षा नियंत्रक

सहायक प्राध्यापक परीक्षा–2022

पाठ्यक्रम–प्रथम प्रश्न–पत्र

मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान

1. मध्यप्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य

- मध्यप्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ, प्रमुख राजवंश।
- स्वतंत्रता आन्दोलन में मध्यप्रदेश का योगदान।
- मध्यप्रदेश की कला एवं संस्कृति।
- मध्यप्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ।
- प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत एवं लोक कलाएँ।
- मध्यप्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएँ।
- मध्यप्रदेश के प्रमुख पर्यटन-स्थल।
- मध्यप्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व।

2. मध्यप्रदेश का भूगोल

- मध्यप्रदेश के वन, पर्वत तथा नदियाँ।
- मध्यप्रदेश की जलवायु।
- मध्यप्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन।
- ऊर्जा संसाधन : परंपरागत एवं गैर परंपरागत।
- मध्यप्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएँ।

3. मध्यप्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र

- मध्यप्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था (राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा)
- मध्यप्रदेश में पंचायतीराज व्यवस्था।
- मध्यप्रदेश की सामाजिक व्यवस्था।
- मध्यप्रदेश की जनांकिकी एवं जनगणना।
- मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास।
- मध्यप्रदेश के प्रमुख उद्योग।
- मध्यप्रदेश में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग।

4. अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ

- महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ।
- देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएँ एवं पुरस्कार तथा खेल संस्थाएँ।
- मध्यप्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएँ।
- मध्यप्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान।

5. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी।

- इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी।
- रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स एवं सायबर सिक्यूरिटी।
- ई–गवर्नेन्स ।
- इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साईट्स।
- ई–कॉमर्स।

---xxx---

ASSISTANT PROFESSOR EXAM-2022

SYLLABUS- PAPER-I

General knowledge of Madhya Pradesh, National and International level and basic knowledge of computer

1. **History culture and literature of M.P.**
    - Important Historical events and Major dynasties of M.P.
    - Contribution of Madhya Pradesh in the Independence movements.
    - Art, Architecture and culture of M.P.
    - Main Tribes and Dialects of M.P.
    - Main festivals, folk music and folk art of M.P.
    - Important literary figures of M.P. and their literature.
    - Main Tourist places of M.P.
    - Important personalities of M.P.
2. **Geography of the Madhya Pradesh**
    - Forest, Mountain and Rivers of M.P.
    - Climate of M.P.
    - Natural and mineral resources of M.P.
    - Energy Resources: Conventional and Non- conventional.
    - Main irrigation and Power projects of M.P.
3. **Politics and Economy of M.P.**
    - Political system of M.P. (Governor, Cabinet, Legislative Assembly).
    - Panchayati Raj in M.P.
    - Social system of M.P.
    - Demography and census of M.P.
    - Economic development of M.P.
    - Main industries of M.P.
    - Agriculture and Agri based industries in M.P.

4. Current events of International, National and M.P.

- Important Contemporaneous events.
- Famous sports competitions; awards and sports institution of the State and country.
- Welfare schemes of M.P. state.
- Famous personalities and Places.

5. Information and Communication Technology

- Electronics, computers, information and communication technology.
- Robotics, artificial intelligence and cyber security.
- E- Governance.
- Internet and Social networking site.
- E- Commerce.

---xxx---

सहायक प्राध्यापक परीक्षा–2022
पाठ्यक्रम–विधि

इकाई : 1 भारत की संवैधानिक विधि

- भारतीय संवैधानिक इतिहास, उद्देशिका, नागरिकता, संविधान की प्रकृति।
- मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य।
- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संघ एवं राज्य विधायी संबंध।
- आपात उपबंध, संविधान संशोधन, रिट क्षेत्राधिकार।
- संवैधानिक सभा की बहस (राज भाषा, धार्मिक स्वतंत्रता, गौवध निषेध, समान नागरिक संहिता)।

इकाई : 2 विधिक सिद्धांत (विधि शास्त्र)

- भारतीय प्राचीन विधि शास्त्र (न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन)।
- विधि की प्रकृति एवं स्रोत, विधि एवं नैतिकता।
- विधि शास्त्र की शाखाएं प्राकृतिक ऐतिहासिक, सामाजिक, विश्लेषणात्मक, यथार्थवादी।
- विधिक अवधारणायें — अधिकार, कर्तव्य, स्वामित्व, कब्जा, विधिक व्यक्तित्व।
- दण्ड के सिद्धांत।

इकाई : 3 लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार

- लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति, स्रोत एवं नागरिक विधि से संबंध।
- संयुक्त राष्ट्र संघ एवं सुरक्षा परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा, संधियां, अंतर्राष्ट्रीय समूह– G-7, G -20, ब्रीक (BRICK), सार्क (SAARC) की भूमिका ।
- प्रत्यार्पण, आश्रय, राष्ट्रीयता, शरणार्थी, राज्य की मान्यता।
- मानव अधिकार–अवधारणा, भारत में क्रियान्वयन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग।
- सीमान्त समूह–महिला, बच्चे, वृद्ध, शरणार्थी, अल्पसंख्यकों का संरक्षण।

इकाई : 4 संविदा विधि एवं वाणिज्यक विधि

- संविदा विधि, सामान्य सिद्धांत, आवश्यक तत्व, प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, अवयस्क द्वारा संविदा।
- संविदा को दूषित करने वाले तत्व–झूठ, कपट, मिथ्या व्यपदेशन, असम्यक प्रभाव, संविदा की विफलता, संविदा भंग के उपचार।
- साझेदारी अधिनियम–प्रकृति, आवश्यक तत्व, पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व।
- माल विक्रय अधिनियम, परक्राम्य लिखित अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

- कंपनी विधि–आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत, शक्ति बाह्यता का सिद्धांत, लिफ्टींग द कर्टन का सिद्धांत, कंपनी का परिसमापन।

इकाई : 5 दुष्कृति विधि

- अपकृत्य की प्रकृति, परिभाषा, आवश्यक तत्व
- अपकृत्य पूर्ण दायित्व के साधारण सिद्धांत, प्रतिनिधिक दायित्व, कठोर दायित्व, पूर्ण दायित्व, लोक सेवको द्वारा अपकृत्य के संबंध में दायित्व ।
- अपकृत्य के विरूद्ध साधारण बचाव, दुरस्थ क्षति ।
- विनिर्दिष्ट अपकृत्य–उपेक्षा, अंशदायी उपेक्षा, अपदूषण, मानहानि
- उपभोक्ता संरक्षण विधि

इकाई : 6 अपराध विधि

- अपराध की प्रकृति, परिभाषा, आवश्यक तत्व, साधारण अपवाद।
- सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य, आपराधिक प्रयास, दुष्प्रेरण, आपराधिक षडयंत्र।
- चोरी, रिष्टी, लूट, डकैती, हत्या, आपराधिक मानव वध, मानहानि।
- मानव शरीर एवं सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध एवं प्राइवेट प्रतिरक्षा।
- महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति के विरुद्ध अपराध।

इकाई : 7 श्रम विधि

- श्रम विधि की अवधारणा–उद्योग, औद्योगिक विवाद तथा कर्मकार।
- श्रमिक संघ – पंजीकृत श्रमिक संघ के अधिकार एवं उन्मुक्तियाँ, पंजीकरण एवं इसके लाभ।
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद निपटारे हेतु उपाय।
- सामूहिक सौदेबाजी के उपकरण के रूप में हड़ताल एवं तालाबंदी।
- छंटनी, जबरी छुट्टी एवं बंद।

इकाई : 8 प्रशासनिक विधि

- प्रशासनिक विधि की प्रकृति, क्षेत्र तथा महत्व।
- नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत।
- प्रशासनिक विवेक एवं इसका नियंत्रण।
- प्रत्यायोजित विधायन।
- लोकपाल एवं लोकायुक्त।

इकाई : 9 पर्यावरण विधि

- पर्यावरण तथा पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, प्रकार।
- भारत में पर्यावरण प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण विधियाँ।
- पर्यावरण संरक्षण की प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं परम्पराएँ।
- भारत में वन एवं वन्य जीवन संरक्षण विधि।
- वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण समस्याएँ एवं पोषणीय विकास।

इकाई : 10 मध्यप्रदेश की प्रमुख विधियाँ

- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973
- मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (आचरण) नियम, 1965
- मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2022
- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010
- मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968

***

Assistant Professor Examination -2022
Syllabus-Law

UNIT- I : Constitutional law of India

- Indian constitutional History, Preamble, Citizenship Nature of Constitution .
- Fundamental Right, Directive Principle State Policy, fundamental duties.
- Judiciary, Executive, Legislative, Centre State Legislative relationship
- Emergency Provision Amendment in Constitution writ Jurisdiction
- Debate of Constitutional assembly (Rajbhasha. freedom of religion common Civil Code).

UNIT-II : Legal Theory (Jurisprudence).

- India Ancient jurisprudence (Nyay Shastra, Nyay Darshan).
- Nature & sources of law. Law and Morality.
- School of jurisprudence- Natural, Historical Social Analytical Positive.
- Legal Concepts - Right, Duty, Ownership, Possession legal Personality.
- Theories of Punishment

UNIT-III: Public International Law and Human Right

- Nature, sources of Public International Law, Relationship with Municipal Law.
- International organization- UNO Security Council WHO, International court of justice settlement of International dispute, Treaties, Role of International groups- G7, G20, BRICKS, SAARC.
- Extradition, Asylum, Nationality refuges. Recognition of States.
- Concept of Human Rights Implementation in India. National Human right Commission, State Human Right Commission.
- Protection of marginalized groups - women children old-age refuges & Minorities.

UNIT-IV: Contract Law and Mercantile Law

- Contract Law- General principles, essentials, Proposal, concent, consideration, minor's contract.
- Element vitiating contract- mistake, fraud, Misrepresentation, undue influence, frustration of contract, Remidies, Damages of breach of contract.
- Partnership Act- Nature, Essentials, Mutual Rights & Duties.
- Sales of Goods Act, Negotiable Instrument Act, Competition Act, 2002.
- Company Law- Doctrine of Indoor management. Doctrine of Ultra Virus. Doctrine of lefting of corton, Winding of companies.

UNIT-V : **Law of Torts**

- Nature, definition and essentials of Torts
- General Principles of Tortious Liability, Vicarious liability, strict liability, Absolute liabiity, Tortious liability of Public Servent
- General defenses against of Tort, Remoteness of Damages.
- Specific Torts- Negligence, Contributory Negligence, Nuisance and Defamation.
- Consumer Protection Law.

UNIT-VI : **Law of Crimes**

- Nature, Definition, Essential element, General Exception.
- Common Intention and common object, Crimal attempt, Abetment, Criminal Conspirancy.
- Theft, Mischief, Loot, Dacoity, Murder, Colpabale Homoside Defamation.
- Crime against Human body and property and Private Defences.
- Crime against women, child, SC, ST.

UNIT-VII : **Labour Law**

- Concepts - Industry, Industrial dispute and workman.
- Trade Union - Rights and Immunities and Registered Trade Union, Registration and its advantage.
- Methods for settlement of Industrial disputes under Industrial Disputes Act, 1947.
- Instruments of collective bargaining Strike, and Lockouts.
- Retrenchment, Lay off and closures.

UNIT-VIII : **Administrative Law**

- Nature, Scope and Importance of administrative law.
- Principles of Natural Justice.
- Administrative discretion and its control.
- Delegated Legislation.
- Lokpal and Lokayukt

UNIT-IX : Environmental Law

- Environmental and Environmental Pollution, meaning Types.
- Environmental Pollution Prevention and control Law in India.
- Indian ancient Culture and Custom for Environment Protection.
- Forest and Wild life Protention Law in India.
- Global Environment Problems and Sustanable development.

UNIT-X: Important Laws of Madhy Pradesh

- Madhya Pradesh Vishvidhyalaya Adhiniyam, 1973
- Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Niyam, 1965.
- Madhya Pradesh Bhandar Kray Niyam thatha Seva Uparjan Niyam, 1915.
- Madhya Pradesh Lok Seva ke Pradan ki Garantee Adhiniyam, 2010
- Madhya Pradesh Dharma Swatrantrata Adhiniyam, 1968.

***